न्यायालय– श्रीमती आयुषी शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)

Reg. No- SUM/353/2022
Filing No- SUM/208/2022
CNR No-MP1309-001635-2022
Filing Date-17-10-2022

:– म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र म.रोड़
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म0प्र0)

.....अभियोजन

विरूद्ध

1. मुबारिक हुसैन पिता गब्बू हुसैन बागवान
उम्र 40 वर्ष, निवासी चम्बर सागर कॉलोनी
थाना नगादा जिला उज्जैन म0प्र0

.....अभियुक्त

पुलिस थाना महिदपुर रोड़ के अपराध कमांक 97/2022 अंतर्गत धारा 188 भा0द0सं0 1860 से उद्भूत प्रकरण।

//निर्णय//

::– आज दिनांक 17.10.2022 को घोषित ::

01. अभियुक्त के विरूद्ध धारा–188 भा.द.सं के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि आपने दिनांक 16.05.2021 समय 11:50 बजे स्थान नागदा तिराहा महिदपुर रोड़, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन पर यह जानते हुए कि जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश कमांक 747/ए.डी.एम/रीडर/2021 दिनांक 17.03.2021 का उल्लंघन कर आप बिना मास्क लगाये पाये गये, जिस समय संपूर्ण देश में कोविड–19 संक्रमण के चलते महामारी घोषित की गई थी जिसके संक्रमण को रोकने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश का उल्लघंन किया।

02. अभियुक्त को निर्णय के पद कमांक –1 के अनुसार अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया

से स्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि कस्बे में लॉकडाउन इंतजाम व्यवस्था के दौरान नागदा तिराहे पर एक व्यक्ति ऑटो रिक्शे में तरबूज बेच रहा था जो मास्क भी नहीं लगाये था जिसका पंचगणों लक्ष्मीनाराण, अमर के समक्ष नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुबारिक हुसैन पिता गब्बू हुसैन उम्र 40 वर्ष निवासी चम्बर सागर कॉलोनी नागदा का होना बताया था जिसे बिना मास्क लगाये तरबूज बेचते पकड़ा गया जिससे उसका कृत्य धारा 188 भादवि के अंतर्गत होने से आरोपी द्वारा तत्समय मानव जीवन में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये जिला दण्डाधिकारी उज्जैन के आदेश क्रं0 747/एडीएम/रीडर/2021 दिनांक 17.03.2021 का उल्लघंन किया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा–188 भा.द.सं के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में दिनांक 17.10.2022 को प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–188 भा.द.सं के अंतर्गत आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश

05. अभियुक्त पक्ष एवं अभियोजन पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कम से कम दण्ड दिए जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अभियोजन ने कठोर रूख अपनाए जाने का निवेदन किया।

06. अभियुक्त को धारा 188 भादंसं. के अंतर्गत **200/–रूपये (दो सौ रूपये मात्र) के अर्थदण्ड** से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किए जाने पर अभियुक्त को 07 दिवस (शब्दों में सात दिवस) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

07. अभियुक्त के निरोध अवधि में न रहने के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जाए।

स्थान :– महिदपुर

दिनांक :–17.10.2022

निर्णय मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–

श्रीमती आयुषी शर्मा

State of M.P. Vs Mubarik Husen

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म0प्र0